भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2566
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- पीएम किसान पोर्टल

2566. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2024-25 में 6,000 रुपये की पीएम किसान किस्त प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या और 45 दिनों से अधिक की देरी वाले मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) पीएम किसान पोर्टल पर शिकायत निवारण का औसत समय कितना है; और

(ग) अपवर्जन त्रुटियों को कम करने के लिए आधार प्रमाणीकरण को एकीकृत करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक देशभर में 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है।

हाल ही में, पीएम-किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की गई थी, जिसके तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ₹ 18,691 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई।

पीएम-किसान योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने और लाभों के सफल अंतरण के लिए भू-अभिलेख, आधार को उनके बैंक खातों से जोड़ना और ई-केवाईसी सहित पात्र किसानों का त्रुटि-मुक्त डेटा अपलोड करना अनिवार्य है।

(ख): पीएम-किसान योजना के अंतर्गत किसानों के सामने आने वाले मुद्दों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए, पीएम-किसान पोर्टल पर एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, पीएम-किसान पोर्टल पर अब तक प्राप्त शिकायतों के लिए औसत शिकायत निवारण समय 6 दिन है।

(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएम-किसान योजना के तहत लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाएं, लाभ अंतरण के लिए आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण, आधार-आधारित ई-केवाईसी और आधार से जुड़े बैंक खाते अनिवार्य कर दिए गए हैं।

*****